

पत्रांक-श्रम क०सं०-19/2025-347

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन), 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, पटना के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 04 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत श्रमिकों के आश्रितों को रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए) एवं 02 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत श्रमिकों के आश्रितों को रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से रू० 4,00,000/- (चार लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि रू० 6,00,000/- (छः लाख रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/दावेदार एवं आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं मोबाईल नंबर	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० मो० तैयाब हुसैन, 54, मो०-मुस्लिम, सामान्य जाति	जीनत प्रवीण उर्फ जीनत (पत्नी)	428 02.02.2026 एवं 4256 09.09.2025	ग्राम-दुल्हिन बाजार, वार्ड-12, पो०-बेल्हौरी, थाना-दुल्हिन बाजार, जिला-पटना 8969411465	50137 58036 8	INDIAN BANK IDIB000 5755	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामाधिक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर
2	स्व० दिपक कुमार, 25, सीताराम साव, सामान्य जाति	रूबी देवी उर्फ रूबी कुमारी (पत्नी)	428 02.02.2026 एवं 4258 09.09.2025	ग्राम+पो०-जमुई, पो०-सोनियावा, थाना-दुल्हिन बाजार जिला-पटना 9570389525	15850 01700 07231 0	PNB PUNB01 58500	रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, (सड़क दुर्घटना के कारण) राजमिस्त्री का हेल्पर
3	स्व० कृष्णानंदन सिंह, 62, स्व० नीलाकंठ सिंह, BC-2	मुन्नी देवी (पत्नी)	4990 18.11.2025 एवं 1864 28.04.2025	ग्राम-जनार्दनपुर, पो०+थाना+प्र०-फतुहौ, जिला-पटना 9771019981	43490 35302 5	SBI SBIN000 6358	रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, (गोली लगने के कारण) खेतिहर मजदूर
4	स्व० आशिया खातून, 49, मो० फजल, BC	मो० फजल (पति)	4990 18.11.2025 एवं 1868 28.04.2025	ग्राम+पो०-धोसवरी, थाना+प्र०-बख्तियारपुर, जिला-पटना 9065243276	19210 00100 06682 0	PNB PUNB01 92100	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामाधिक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
5	स्व० मुन्ना सिंह, 35, दिनेश राय, BC	ममता देवी (पत्नी)	4990 18.11.2025 एवं 1876 28.04.2025	ग्राम-जेटुली, पो०-कच्चीदरगाह, थाना-नदीथाना, जिला-फतुहौ 8521989634	02861 08031 471	CANAR A BANK CNRB00 00286	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामाधिक मृत्यु, ट्रैक्टर ड्राइवर का कार्य
6	स्व० रेखा देवी, 39, पिता-स्व० विश्वनाथ पंडित, OBC	रविन्द्र पंडित (पिता)	4990 18.11.2025 एवं 1880 28.04.2025	ग्राम+पो०-सिगरियावा, थाना-शाहजहाँपुर, प्र०-दनियावा, जिला-पटना 9262926344	15851 08007 244	CANAR A BANK CNRB00 01585	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामाधिक मृत्यु, खेतिहर मजदूर

कुल राशि :-रू० 6,00,000/-

(छः लाख रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RIGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-


(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-19/2025-347


पटना, दिनांक :- 18/03/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **₹ 6,00,000/- (छः लाख रूपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, पटना / उप श्रमायुक्त, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


17/03/2026

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी



(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक